172

संख्या- 628/2015/1661/69-1-2015-42(बजट)/2013

प्रेषक,

एच०पी० सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

Budget--97
II-1 किस्त

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 09 जुलाई, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधा के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-414/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2013-14, दिनांक 06 मई, 2015 एवं संख्या-842/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2013-14, दिनांक 03 जून, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद-सोनभद्र की न०निकाय, चुर्क/घुर्मा, पिपरी, दुद्धी व राबर्टसगंज की 64 परियोजनाओं एवं जनपद-सिद्धार्थनगर की न०प०, उसका बाजार व डुमरियागंज तथा न०पा०प० बांसी की 19 परियोजनाओं अर्थात उक्त जनपदों की विभिन्न मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य हेतु कुल 83 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-686/26-ब०प्र०-2013-42(बजट)/2013, दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 व सपठित शासनादेश संख्या-163/26-ब०प्र०-2014-42(बजट)/2013 दिनांक 26 फरवरी, 2014 द्वारा रू० 1083.09 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात रू० 541.545 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। अतएव उक्त जनपदों में से केवल जनपद-सोनभद्र की न०निकाय, चुर्क/घुर्मा, दुद्धी, राबर्टसगंज, पिपरी की 42 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण कराने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट में उपलब्ध धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 के अनुसार रू० 137.075 लाख (रूपये एक करोड़ सैंतीस लाख सात हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखितशर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

-2-

10/7/15

10/7/15

http://shasanadeshup.nic.in

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जायें तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

4. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।

8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।

10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

-3/

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक 2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग नाली आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-128/2015/1661/69-1-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायिडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सोनभद्र।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-628/2015/1661/69-1-2014-42(बजट)/13 दिनांक 09 जुलाई, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	परियोजना की कुल लागत	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृति योग्य धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सोनभद्र	चुर्क/घुर्मा	चक्रपाल के घर से बच्चे लाल के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण।	6.68	3.34
2	सोनभद्र	दुद्धी	काली जी मन्दिर मोहाल में रामनाथ रावत के घर से जे0डी0 पत्ता गोदाम के आगे तक नाला निर्माण कार्य।	15.48	7.74
3	तदैव	राबर्टसगंज	ओमकार नायके घर से प्रेक्षा गृह के पीछे तक इण्टरलाकिंग एवं नाली सड़क निर्माण।	12.73	6.365
4	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-13 में श्याम नरायन मौर्या के मकान से दुक्खी मास्टर के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण।	13.57	6.785
5	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-13 में लेखराज पाण्डेय के घर से संजय के घर के सामने तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण।	5.06	2.53
6	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-13 में हरि प्रजापति के घर के सामने से भीखम सिंह के घर से होते हुए पकरी बार्डर तक नाली निर्माण।	12.55	6.275
7	सोनभद्र	चुर्क/घुर्मा	रेलवे क्रासिंग रोड से कन्हैया के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	4.28	2.14
8	तदैव	तदैव	महेश गुप्ता के घर के पास से नर्सरी तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	19.14	9.57
9	तदैव	तदैव	नहर से पारस यादव के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	4.46	2.23
10	तदैव	तदैव	झूला ट्राली से झरिया तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	13.35	6.675
11	तदैव	तदैव	राजू के घर से झरिया नाला तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	3.22	1.61
12	तदैव	तदैव	चक्रपाल के घर के पास से छोटेलाल के घर होते हुए बब्लू के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	5.75	2.875
13	तदैव	तदैव	कुंवर के घर के सामने से मन्दिर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	2.30	1.15
14	तदैव	न0पं0, पिपरी	भोला के घर से बिन्जू के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	1.58	0.79
15	तदैव	तदैव	रफीक के घर से कल्लू के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	1.19	0.595
16	तदैव	तदैव	रेलवे कालोनी राजेश इंजीनियर के घर की पीछे से अकबर के घर के पीछे तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	1.76	0.88
17	तदैव	तदैव	पिन्टू के घर से इन्दल के घर तक इण्टरलाकिंग का	0.80	0.40

-2-

http://shasnadesh.up.nic.in

			कार्य।		
18	तदैव	तदैव	रेलवे कालोनी के पीछे जू0इ0 राजेश यादव के घर के पास से सर्वजीत के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	1.78	0.89
19	तदैव	तदैव	रहमती के घर से पिन्टू के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	1.47	0.735
20	तदैव	तदैव	सुन्दरी के घर से गोविन्द के सामने तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	1.34	0.67
21	तदैव	तदैव	बेबी के घर से मोती के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	2.07	1.035
22	तदैव	तदैव	रामबाबू के घर से सेवाही के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	1.34	0.67
23	तदैव	तदैव	दीना के घर से अशोक के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	2.05	1.025
24	तदैव	तदैव	मस्जिद के पास से मुनीर खान के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	3.38	1.69
25	तदैव	तदैव	हैण्डपम्प से अजीत के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क का कार्य।	2.14	1.07
26	तदैव	तदैव	मुख्य रोड से पन्ना के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क का कार्य।	2.22	1.11
27	तदैव	तदैव	राजन के घर से शम्भू के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क का कार्य।	2.63	1.315
28	तदैव	तदैव	मु0 हुसैन के घर से छेदी कुरैशी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क का कार्य।	1.07	0.535
29	तदैव	राबर्टसगंज	जग्गा सिंह के घर से लोटन के बाउण्ड्री तक कवर्ड नाली कार्य।	2.95	1.475
30	तदैव	तदैव	अशोक के घर से कल्लू के घर तक लेपन स्तर तक सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	12.34	6.17
31	तदैव	तदैव	सोनू माली के घर से श्याम लाल के घर तक सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	6.95	3.475
32	तदैव	दुद्धी	हरिजन मोहाल में डा0 अजय पुलिया से लकड़ा नहर पुलिया तक नाला निर्माण।	15.44	7.72
33	तदैव	दुद्धी	हरिजन मोहाल में लसमिनिया स्वीपर के घर से मोती चन्द्र के घर तक नाली निर्माण व कवर।	3.62	1.81
34	तदैव	दुद्धी	हरिजन मोहाल विशम्भर मास्टर के घर से मंजू हरिजन के घर होते हुए सहारा क्लीनिक बन्धू के घर तक नाली निर्माण व कवर।	9.27	4.635
35	तदैव	राबर्टसगंज	वार्ड सं0-08 में बराहे कोल के मकान से श्रीनाथ के घर होते हुए खिचडू के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	7.99	3.995
36	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-08 में शिवाजी के मकान से श्री गोपाल के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	5.27	2.635
37	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-08 में जवाहिर के मकान से पुर्नवासी के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	5.23	2.615

http://shasnadesh.up.nic.in

-3-

38	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-08 में श्री [illegible]नियसिंह के मकान से डाक बंगला रोड तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	25.51	12.755
39	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-13 में राम नारायन के घर से पीछे से महाश्वेता हास्पिटल के बगल तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	9.62	4.81
40	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-13 में हरि प्रजापति के घर के सामने से न्यू कालोनी मेनरोड तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	6.87	3.435
41	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-13/25 में राजा सिंह के घर से भीम सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	12.69	6.345
42	तदैव	तदैव	हरि प्रजापति के घर से प्रेम सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	5.01	2.505
योग				274.15	137.075

(रूपये एक करोड़ सैंतीस लाख सात हजार पांच सौ मात्र)

(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in